प्रेसनोट

भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 01 नवम्बर, 2016 की अर्हता तिथि के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद–झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण हेतु दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक 08–12–2016 को दिनांक 19–12–2016 तक आगे बढ़ाते हुये संशोधित कार्यक्रमानुसार अंतिम प्रकाशन की तिथि दिनांक 30–12–2016 को भी परिवर्तित किया है जिसके अनुसार अब नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 12–01–2017 को किये जाने के निर्देश दिये है।

आयोग द्वारा अब संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क0सं0	विवरण	अवधि
1–	दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि	दिनांक 23–11–2016 (बुधवार) से दिनांक 19–12–2016 (सोमवार) तक
2–	दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं पूरक सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण	दिनांक 06–01–2017 (शुकवार) तक
3–	नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	दिनांक 12–01–2017 (वृहस्पतिवार)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अधीन आलेख्य प्रकाशित नामावलियों के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति हो तो वह निर्धारित प्रारूप पर संबंधित पदाभिहित (संबंधित उपजिलाधिकारी) के कार्यालय में कार्यालय समय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 तक जिला विद्यालय निरीक्षक महोबा से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एतदपश्चात दावे और आपत्तियों का दिनांक 06 जनवरी, 2017 तक निस्तारण कर पूरक सूची निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर दिनांक 12 जनवरी, 2017 को अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।

(आनन्द कुमार)
a/c उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
महोबा।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, महोबा।

संख्या 5230 /निर्वाचन–शिक्षक– 2016 दिनांक 10 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इलाहाबाद–झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/आयुक्त, झाँसी मण्डल झाँसी को सूचनार्थ।

2– जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।

3– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद महोबा एवं खण्ड विकास•अधिकारी पनवाड़ी/कबरई तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कबरई को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रेस विज्ञप्ति चस्पा कराते हुये वृहद प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

4– जिला विद्यालय निरीक्षक महोबा को अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से (सेकेण्डरी स्कूल से कम न हो) उक्त प्रेसनोट को शिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु संबंधित को भिजवाने का कष्ट करें।

5– जिला सूचना अधिकारी महोबा को दस प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेसनोट का दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

6– अध्यक्ष/मंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद महोबा ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
a/c महोबा।